न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 19 सन 2019
अनवान :–

1. मांगीराम पुत्र मामराज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल–

बनाम

1. हंसराज पुत्र जर्मनराम जाति जाट निवासी कर्मसाना तहसील नोहर
2. जीताराम पुत्र सुलतानराम जाति जाट निवासी कर्मसाना तहसील नोहर
3. धर्मपाल पुत्र सुलतानराम जाति जाट निवासी कर्मसाना तहसील नोहर
4. रामेश्वरलाल पि0मु0 जीता जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
5. बनवारी पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
6. श्योपाल पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
7. महेन्द्र पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
8. पतराम पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
9. सजना पुत्री उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
10. खिवणी पुत्री उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री उदाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
12. कमला देवी पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर
13. जमनादेवी पुत्री बेगराज जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
14. पप्पु पुत्र नोंरगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
15. राजु पुत्र नोरगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
16. चन्दो पुत्री नोरगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
17. शारदा पुत्री नोरगराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
19 उप पंजीयक रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 23/09/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सायल और गैरसायल की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 519/473 के प0न0 138/50(765) के किला न0 9/0.2530 ,11 ता 13/0.2530हैक , 18 ता 23/प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 138/142 (766) किला न0 15 ता 18/प्रत्येक 0.2530हैक , 23/1 की 0.1640हैक ,24 ,25/0.506हैक ,कुल 1.6820हैक प0न0 138/43(800) किला न0 3/1 की 0.510हैक , 4/1 की 0.2150हैक , 5/.2530 ,6/1 की 0.2270 ,7/1 की 0.0510हैक 8/1 की 0.2020हैक 14/2 की 0. 1770हैक 15/2 की 0.0760हैक 16/2 की 0.1140हैक ,17/0.2530 ,24/1 की 0.2020हैक 25/2 की 0.1640हैक , कुल 1.9850हैक , प0न0 138/51(801) किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 प्रत्येक की 0.2530हैक 11/2 की 0.2400हैक , 12 ,13/0.506हैक ,19/0.2530हैक , 20/2 की 0.1520हैक कुल 0.1520हैक कुल किता 11 की 2.6690है कुल खसरा 40 की कुल 8.8660हैक सहखातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि में सायल का 50 हिससा , गैरसायल संख्या 1 का 30 हिस्सा गैरसायल संख्या 2 का 207 हिस्सा गैरसायल संख्या 3 का 87 हिस्सा गैरसायल संख्या 4 का 64 हिस्सा, गैरसायल संख्या 5 ता 11 बहिब 204 हिस्सा, गैरसायल संख्या 12 का 50 हिस्सा , गैरसायल संख्या 13 का 50 हिस्सा, गैरसायल संख्या 14 ता 17 बहिब 50 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल व गैरसायल का खाता व लगान मुश्तरका है जिससे लगान काश्त एवं सीव का झगडा रहता है इसलिये सायल अपने हक व हिस्सा की भूमि का भूमि की किस्म अनुसार अच्छी मे से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान व अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है उसके बावजूद भी गैरसायल न0 1 के मन मे बेईमानी आ गई है एवं वह विवादित भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है बिना खाता विभाजन करवाये वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही किया जावे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को पााबन्द किया जावे की वह रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 519/473 की कुल 8.8660हैक भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करने रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 11 ,13 ता 17 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई गैरसायल संख्या 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में सायल एवं गैरसायल के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है तथा कभी भी सीव डोल का झगडा नही हुआ है गैरसायला हमेशा से खाता विभाजन करने के लिये तैयार है सायल जानबुझ कर खाता विभाजन नही करवा रहे है सायल एवं गैरसायलान बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज हाने के कारण गैरसायल को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है गैरसायल सहखातेदारी भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि का बेचान नही करना चाहता है ना ही अपने हिस्से का बेचान करने का उदेश्य रखता है। सायल गैरसायल के हक हिस्सा की भूमि को रहन /बैय करने के लिये पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है सायल सयुक्त खाता की भूमि पर मिलीभगत कर अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाते रहते है गैरसायला महिला एवं प्रर्दाशिन औरत है तथा सायल अच्छी किस्म की भूमि हडप करने की नियत से रखते है वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है इसलिये सायल गैरसयालान को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। गैरसायल संख्या 12 का जबाब शमिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सायल और गैरसायल की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 519/473 के प0न0 138/50(765) के किला न0 9/0. 2530 ,11 ता 13/0.2530हैक , 18 ता 23/प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 138/142 (766) किला न0 15 ता 18/प्रत्येक 0.2530हैक , 23/1 की 0.1640हैक ,24 ,25/0.506हैक ,कुल 1.6820हैक प0न0 138/43(800) किला न0 3/1 की 0.510हैक , 4/1 की 0.2150हैक , 5/.2530 ,6/1 की 0.2270 ,7/1 की 0.0510हैक 8/1 की 0.2020हैक 14/2 की 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1770हैक 15/2 की 0.0760हैक 16/2 की 0.1140हैक ,17/0.2530 ,24/1 की 0.2020हैक 25/2 की 0.1640हैक , कुल 1.9850हैक , प0न0 138/51(801) किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 प्रत्येक की 0.2530हैक 11/2 की 0.2400हैक , 12 ,13/0.506हैक ,19/0.2530हैक , 20/2 की 0.1520हैक कुल 0.1520हैक कुल किता 11 की 2.6690है कुल खसरा 40 की कुल 8.8660हैक सहखातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में सायल का 50 हिससा , गैरसायल संख्या 1 का 30 हिस्सा गैरसायल संख्या 2 का 207 हिस्सा गैरसायल संख्या 3 का 87 हिस्सा गैरसायल संख्या 4 का 64 हिस्सा, गैरसायल संख्या 5 ता 11 बहिब 204 हिस्सा, गैरसायल संख्या 12 का 50 हिस्सा , गैरसायल संख्या 13 का 50 हिस्सा, गैरसायल संख्या 14 ता 17 बहिब 50 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल व गैरसायल का खाता व लगान मुश्तरका है जिससे लगान काश्त एवं सीव का झगडा रहता है इसलिये सायल अपने हक व हिस्सा की भूमि का भूमि की किस्म अनुसार अच्छी मे से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान व अलग से खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है उसके बावजूद भी गैरसायल न0 1 के मन मे बेईमानी आ गई है एवं वह विवादित भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है बिना खाता विभाजन करवाये वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही किया जावे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील गैरसायल न0 12 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में सायल एवं गैरसायल के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है तथा कभी भी सीव डोल का झगडा नही हुआ है गैरसायला हमेशा से खाता विभाजन करने के लिये तैयार है सायल जानबुझ कर खाता विभाजन नही करवा रहे है सायल एवं गैरसायलान बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज हाने के कारण गैरसायल को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है गैरसायल सहखातेदारी भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि का बेचान नही करना चाहता है ना ही अपने हिस्से का बेचान करने का उदेश्य रखता है। सायल गैरसायल के हक हिस्सा की भूमि को रहन /बैय करने के लिये पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है सायल सयुक्त खाता की भूमि पर मिलीभगत कर अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाते रहते है गैरसायला महिला एवं प्रर्दाशिन औरत है तथा सायल अच्छी किस्म की भूमि हडप करने की नियत से रखते है वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है इसलिये सायल गैरसयालान को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है तथा इसी भूमि के सम्बध में पूर्व में भी अस्थाई निषेधाज्ञा अन्य सयुक्त खातेदार के द्वारा जारी की गई थी पुनः सयुक्त खातेदार के द्वारा प्रस्तुत की गई है इस न्यायालय से पूर्व में निर्णय हो चुका है पुनः प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वाद भूमि में जो मुश्तरका खाता मे दर्ज है मुश्तरका खाता की भूमि का खाता विभाजन का किस प्रकार से होगा यह तथ्य वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायल एवं गैरसायलान के नाम से सयुक्त खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात सायल व गैरसायल दोनो खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

काश्तकार दर्ज है प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल एवं गैरसायल दोनो के पक्ष में सामान रूप से साबित होता है।

सायल का कथन है कि गैरसायल न0 1 अच्छी किस्म की भूमि बेचान करना चाहता है अस्वीकार योग्य नही है क्योकि वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में दर्ज है राजस्व रिकार्ड में दर्ज सयुक्त खाते की भूमि में से किस्म के अनुसार भूमि का बेचान किया ही नही जा सकता केवल सयुक्त खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा की भूमि का ही बेचान कर सकता है एवं सयुक्त खातेदार को उसके हिस्से की भूमि रहन /बैय करने हेतु पाबन्द करने पर सायल को किसी प्रकार की क्षति नही होती है अन्य सयुक्त खातेदार काश्तकार को होती है अर्थात स्पष्ट रूप से गैरसायल को क्षति होगी मात्र सायल के मौखिक कथनों के आधार पर की गैरसायल भूमि बेचान करना चाहता है गैरसायल जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है इसप्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायल के पक्ष में पायी जाती है।

वाद भूमि जो सयुक्त खाते में दर्ज में एक सयुक्त खातेदार के द्वारा पूर्व में भी एक काश्तकार के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्तुत निर्णय की प्रति से साबित है जो न्यायालय द्वारा उक्त विवेचन के अनुसार खारिज किया गया है

उरोक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 16.05.2018 को रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 519/473 की 8.8660हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner